


पगवली पेज हुयी। वादी व वकील
उभे अनुपस्थित। का-का आवाज
लगायी गयी। आवाज लगवाने के उपरान्त
मे वादी की ओर ले कोई उपस्थित नहीं
आया। अतः वादी का वाद पत्र अदम
द्वारा अदम फौरी में खारिज किया जाता
है। पगवली फौरी शुमा होना नम्बाले
के होना पत्र दाखिल हो।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सोकर)